न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 73/2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती आशा अग्रवाल पत्नी अशोक कुमार अग्रवाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स महाकाली मिनरल्स, 1 विजय शान्ति ऐजूकेशन के पीछे, मु.पो. लोयरा, तह. बडगांव जिला उदयपुर स्थाई पता– फ्लेट न. 202ए, मंगलम आर्चिड, नवरतन कॉम्प्लेक्स उदयपुर मो. 8305257663

–विपक्षी

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. श्रीमती आशा विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 28.03.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2022/ दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 17.03.2023 को 03.35 पी.एम. वास्ते चेकिंग मालिक मैसर्स महाकाली मिनरल्स, 1 विजय शान्ति ऐजूकेशन के पीछे, मु.पो. लोयरा, तह. बडगांव जिला उदयपुर पर पहूँचे, वहॉ विपक्षी श्रीमती आशा अग्रवाल उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मालिक मैसर्स महाकाली मिनरल्स, 1 विजय शान्ति ऐजूकेशन के पीछे, मु.पो. लोयरा, तह. बडगांव जिला उदयपुर का विक्रेता होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

निरीक्षण के समय पाया कि विक्रेता की फेक्ट्री पर Packaged Drinking water (Fionaa) के 1 ली. वाले 200 (प्लास्टिक श्रींक) कार्टुन मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिती में आम जनता को बिक्री वास्ते रखी पायी। इसमें से 1 कार्टुन खोलकर निरीक्षण करने पर 15 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिती में आम जनता को बिक्री वास्ते रखी पायी। इसमें मिसब्राण्ड, अनसेफ, सबस्टैण्डर्ड का शक होने पर 1 लीटर की 16 बोतले मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द की स्थिति में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। इसकी किमत विक्रेता के बताये अनुसार 106 रू. नकद चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 16 बोतल के चार भाग बनाये (प्रत्येक भाग में 1 लीटर वाली 4 मूल बोतल रखी) प्रत्येक भाग पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं भाग को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए–**2186** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा। साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक भाग सील बंद भागो को मय फार्म न. 6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्रांक एफएसएसए/2023/4137 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट न. एलएस 216/एक्ट/2023/216 दिनांक 28.03.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार Packaged Drinking water (Fionaa) used by date/exp. date-not given, hence the lable of sample contravenes Regulation no. 2.5.10(a) of Food safety & Standards (Labelling and Display) Regulations 2020. पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम– 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया हैं। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/4138 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/9766 दिनांक 25.10.2023 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/ क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को स्वंय आरोपी उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री नरेन्द्रसिंह चौहान दोनो मेरी फेक्ट्री पर आये तब दोनो के द्वारा पानी की बोतल द न्यू बिसलारी एवं फीओना पानी की बोतल का सेम्पल लिया उक्त सेम्पल मिसब्राण्ड होने से प्र.स. 59/23 एवं 73/23 आप न्यायालय में दर्ज होकर नोटिस प्राप्त हुआ था। मुझे केवल प्रकरण संख्या 59/23 की जानकारी होने से मेरे जुर्म स्वीकार कर लिया जिसका निर्णय दिनांक 28.08.2023 को पारित कर 70,000 रूपया के जुर्माना से दण्डित किया गया। मेरी आर्थिक हालात सही नहीं होने से जुर्माना मेरे 4 किश्तो में आप न्यायालय मे जमा करा दिया गया। चूंकि अब पुनः प्रकरण संख्या 73/2023 सरकार बनाम श्रीमती आशा अग्रवाल विचाराधीन है, जिसमें विपक्षीया अपना जुर्म स्वीकार करती हूं। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वर्णित मानक का पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया है। गलती को सुधार ली गई है। में भविष्य मे दुबारा ऐसा कृत्य नहीं करूंगी। अतः प्रकरण में क्षमा करते हुए ड्रॉप कराने की कृपा करावे या कम से कम जुर्माने के दण्ड़ से दण्ड़ित करने की कृपा करावें जिससे में न्यायालय के आदेश की पालन में जुर्माना जमा करा सकूं।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय करने से भारी से भारी जुर्माना से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कम से कम जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पाया कि विक्रेता की फेक्ट्री पर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

Packaged Drinking water (Fionaa) के 1 ली. वाले 200 (प्लास्टिक श्रींक) कार्टुन मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिती में आम जनता को बिक्री वास्ते रखी पायी। इसमें से 1 कार्टुन खोलकर निरीक्षण करने पर 15 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिती में आम जनता को बिक्री वास्ते रखी पायी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया जाने पर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट न. एलएस 216/एक्ट/2023/216 दिनांक 28.03.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार Packaged Drinking water (Fionaa) used by date/exp. date-not given, hence the lable of sample contravenes Regulation no. 2.5.10(a) of Food safety & Standards (Labelling and Display) Regulations 2020 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम– 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया हैं।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) 52 के अर्न्तगत एसे मामलों मे अधिकतम राशि 3,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे विपक्षीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड Packaged Drinking water (Fionaa) का विक्रय करके आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को ₹25,000(अक्षरे रूपया पच्चीस हजार रूपया मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षीगण अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर'' के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)